

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-1144 / 2013
संस्थित दिनांक-09.12.2013
फाई. क.234503002612013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

अमरलाल पिता भगवान सिंह यादव, उम्र-30 वर्ष,
निवासी ग्राम दमोह थाना बिरसा जिला बालाघाट

— — — — अभियुक्त

// **निर्णय** //

(आज दिनांक **30 / 11 / 2017** को घोषित)

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325, 506 भाग-2 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 24.11.2013 को समय करीब 11:05 बजे ग्राम दमोह थाना बिरसा अंतर्गत लोकस्थान में फरियादी महेश सांवरे को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर उसे हाथ-मुक्कों व लकड़ी की पटिया से मारकर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया तथा फरियादी महेश सांवरे को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी महेश सांवरे द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी मोबाईल विक्रय एवं डाउनलोडिंग की दुकान है। दिनांक 24.11.2013 को दिन के करीब 11:05 बजे अपनी दुकान में बैठकर डाउनलोडिंग का काम कर रहा था, तभी उसके बगल से लगे फोटोग्राफर की दुकान पर अमरलाल यादव अपनी दुकान से बाहर रोड पर आकर स्वीच का साउंड कम नहीं करता कहकर जोर-जोर से मादरचोद, बहनचोद की गंदी-गंदी गाली-गुफ्तार कर रहा था, मना करने पर हाथ-मुक्कों एवं लकड़ी की पटिया से बांधे कंधे एवं मस्तक पर मारपीट किया, जिससे उसका कंधा फूल गया। आरोपी जाते समय जान से मारने की धमकी दे रहा था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 162/13 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा, प्रार्थी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। विवेचना दौरान एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थिभंग पाये जाने से धारा-325 भा.द.सं. का ईजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत-मुचलका पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 152/13 दिनांक 06.12.2013 को तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-24.11.2013 को समय करीब 11:05 बजे ग्राम दमोह थाना बिरसा अंतर्गत लोकस्थान में फरियादी महेश सांवरे को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत महेश सांवरे को हाथ-मुक्कों व लकड़ी की पटिया से मारकर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी महेश सांवरे को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी महेश अ.सा.01 का कथन है कि वह अदालत में उपस्थित अमरलाल यादव को जानता है। उसकी मोबाईल शॉप की दुकान दमोह चौक पर है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पुरानी दिन के 11-11:30 बजे की है। वह अपनी दुकान में डाउनलोडिंग कर रहा था, तभी उसके दुकान के बगल के दुकान वाले आरोपी अमरलाल ने अपनी दुकान से निकलकर उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा, उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने बेंच की पटिया उठाकर उसे मार दिया, जिससे उसे कंधे पर चोट लगी थी। बीच-बचाव करने पड़ौस की दुकान वाला रमेश आया था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। घटना के संबंध में रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में किया था, जो प्रपी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आकर उसकी निशादेही पर मौका नक्शा प्रपी-2 तैयार किये था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी महेश अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी दुकान तथा आरोपी की दुकान लगी हुई है, आरोपी फोटोग्राफर है। उसकी मोबाईल शॉप की दुकान है और

डाउनलोडिंग का काम करता है, किन्तु साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी के दुकान में ग्राहक आये हुये थे, उन्हें कार्य करने में हल्ला होने के कारण असुविधा हो रही थी, उसे डाउनलोडिंग कार्य करने के दौरान जोर से आवाज को बंद करने के लिए आरोपी द्वारा कहा जा रहा था किन्तु यह स्वीकार किया है कि डाउन लोडिंग कार्य वह स्पीकर से कर रहा था, जो जोर से आवाज दे रही थी, जिसे वह ग्राहक को सुना रहा था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे जोर-जोर से स्पीकर बजाने के कारण पड़ौसी दुकानदारों को व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, उसकी दुकान के पास आकर धीमी गति से स्पीकर बजाने के लिए बोल रहा था, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी अपने साथ मारने के आशय से कोई लकड़ी या पटिया लेकर नहीं आया था, लकड़ी की बेंच उसकी दुकान में थी, जो बैठने के काम में आता है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा आरोपी को अपने दुकान से निकाल कर गाली गलौच की जाकर कि वह उसे स्पीकर बजाने से रोकने वाला कौन होता है, कहकर उसके द्वारा मारपीट की गई थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी माँ-पिताजी आ गये थे। सामने उसकी दुकान लगती है पीछे रहवासी है।

07— साक्षी महेश अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा आरोपी को मारपीट किया जा रहा था, उसकी माँ के द्वारा जब वह आरोपी को मार रहा था, तब पटिया को पीछे से पकड़ लेने की वजह से उसका हाथ अनबेलेस हो गया था, जिससे वह गिर गया और कंधे में चोट लगी थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके विरुद्ध उसके द्वारा मारपीट करने के संबंध में पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस पूछताछ करने आयी थी, उसके द्वारा उसकी दुकान की पटिया को लेकर थाने ले गया था और इससे मारपीट किया गया है, बताया था। साक्षी के अनुसार दुकान से आकर पटिया को ले गये थे। साक्षी ने अस्वीकार किया कि पहले से आरोपी से रंजिश है इसलिए उसके विरुद्ध झूठा रिपोर्ट दर्ज कर फंसाये है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। साक्षी के अनुसार रमेश एवं ललित थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि रमेश और ललित घटना के समय होने वाली बात झूठी बता रहा है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके द्वारा मारपीट करने से आरोपी अमरलाल का भी मुलाहिजा हुआ था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसके चेहरे एवं मस्तिष्क में चोट बताया है वह लामा-झूमी से गिरने के कारण हुई थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसकी दुकान बाजार चौक से करीब आधा फर्लांग की दूरी पर है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसके द्वारा पुलिस वालों से मिलकर झूठा प्रकरण तैयार करवाया गया है, आरोपी की रिपोर्ट से बचने के लिए उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट तैयार करवाया है, प्रपी-1 एवं प्रपी-2 में हस्ताक्षर कहाँ पर करवाये थे, आज ध्यान नहीं है, किन्तु यह स्वीकार किया कि पुलिस वाले उसके बयान नहीं लिये थे, केवल पूछताछ किये थे तथा उसने डॉक्टर से मिलकर मुलाहिजा रिपोर्ट तैयार करवाया था।

08— साक्षी रमेश अ.सा.02 का कहना है कि वह आरोपी अमरलाल एवं प्रार्थी महेश को भी जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह अपनी दुकान से धागा खरीदने बाजार चौक गया था, जब वह धागा लेकर वापस आया तो महेश की दुकान में भीड़ लगी थी, तो महेश ने बताया कि डाउनलोडिंग की आवाज को बंद कर बोल रहा था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि महेश ने उसे पटिया से मारने वाली बात बतायी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को घटनास्थल पर नहीं था, घटना की कोई जानकारी नहीं है, उसके सामने कोई गाली-गलौच एवं मारपीट नहीं हुई थी, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, पुलिस ने कैसे बयान लिख लिया इसका कारण नहीं बता सकता। उसने किसी को घटना के बारे में नहीं बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने महेश के शरीर में किसी प्रकार के चोट का निशान नहीं देखा था।

09— साक्षी प्रदीप मजूमदार अ.सा.03 का कहना है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी महेश को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग आठ-नौ माह पूर्व की है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसके दवा खाने से 60-70 फीट की दूरी पर आरोपी एवं आहत की दुकान लगी हुयी है, उक्त स्थान से चिल्लाने की आवाज उसके दवाखाने तक आती है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि दिनांक 24.11.13 को चिल्लाने की आवाज आने पर जब वह अपनी दुकान से बाहर रोड पर आकर देखा तो महेश सांवरे की दुकान के सामने झगड़ा हो रहा था, उसी समय वह महेश सावरे की दुकान के सामने गया तो उसने देखा कि आरोपी अमरलाल यादव महेश को माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गाली देकर हाथ-मुक्के तथा लकड़ी की पटिया से मारपीट कर रहा था, उसने तथा रमेश यादव ने बीच बचाव किया था, आरोपी ने उसके समक्ष जान से खत्म करने की धमकी दी थी। साक्षी का कथन है कि वह जब नाश्ता करके बाहर आया तब उसे पता लगा कि आरोपी तथा प्रार्थी के बीच में मारपीट हुई थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया कि आरोपी के मारने से ही महेश के बांये कंधे पर चोट लगी थी, उसे प्रार्थी ने पूछने पर बताया था कि आरोपी उसके साथ स्पीकर बजाने की बात को लेकर मारपीट की है, उसने पुलिस को प्रपी-3 का कथन दिया था, वह आरोपी को बचाने के लिये आज न्यायालय में झूठे कथन कर रहा है, घटना दिनांक को ही प्रार्थी के द्वारा थाना बिरसा में रिपोर्ट की गयी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उक्त दिनांक को ही शासकीय अस्पताल बिरसा में प्रार्थी का ईलाज हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी और प्रार्थी दमोह के रहने वाले हैं, इसलिये वह उन्हें जानता है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिनांक 24.11.13 को उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था उसके बयान पुलिस ने कैसे लिखे उसका वह कारण

नहीं बता सकता। उसे प्रार्थी के शरीर में किसी भी प्रकार की चोट देखने का मौका नहीं आया।

10— साक्षी देवा सांवरे अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी अमरलाल यादव एवं प्रार्थी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग ढेड साल पूर्व के दिन के ग्यारह बजे की है। घटना के समय वह अपनी मोबाईल की दुकान दमोह लाल चौक में था। उसका भाई अपनी मोबाईल शॉप की दुकान में डाउनलोडिंग कर रहा था तब पड़ोस के दुकानदार फोटोग्राफर अमरलाल ने अपनी दुकान से बाहर आया और उसके भाई को गंदी-गंदी गालियों देते हुए बोला कि साउंड कम कर, तब आरोपी ने वहां पर रखी बेंच की पटिया उठाकर कंधे पर मार दिया था, जिससे उसे चोटें आयी थी, जिससे उसके भाई महेश के कंधे की हड्डी टूट गयी थी। उसके भाई का ईलाज बालाघाट अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक 24.11.2013 की है। उसकी भी बस स्टेण्ड पर किराना की दुकान है।

11— साक्षी देवा सांवरे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह ग्राम दमोह में रहता है। ग्राम दमोह में लाल चौक एवं बस स्टेण्ड अलग-अलग स्थान पर है। यह स्वीकार किया कि उसकी बस स्टेण्ड में किराने की दुकान है। बस स्टेण्ड व लाल चौक की दूरी करीब पांच किलोमीटर है। उसने पुलिस को बयान दिया था। यह स्वीकार किया कि वह ग्यारह बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक अपनी किराने की दुकान बस स्टेण्ड पर था, घटना के समय वह बस स्टेण्ड की किराने की दुकान पर था, तब उसे रमेश यादव ने फोन पर ही बताया था कि तेज साउण्ड से उसके भाई द्वारा स्पीकर को बजाया जा रहा है, जिसे साउण्ड कम करने कहने की बात पर से वाद-विवाद हो रहा है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रडी-01 रमेश के द्वारा फोन पर बताये अनुसार लेखबद्ध कराया था, रमेश के बताये जाने के बाद जब वह अपनी किराने की दुकान बस स्टेण्ड से लगभग साढ़े ग्यारह बजे आया और अपने भाई महेश सांवरे को लेकर उसने थाना बिरसा जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया था, घटना दिनांक समय को वह महेश सांवरे के साथ मोबाईल दुकान दमोह लाल चौक में नहीं था, यदि उसके मुख्य परीक्षण में घटना के समय वह अपनी मोबाईल दुकान दमोह लाल चौक में था वाली बात लिखा दिया था वह गलत है।

12— साक्षी देवा सांवरे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया कि रमेश यादव के द्वारा उसे फोन पर कोई सूचना नहीं दी गयी थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि जब वह अपनी किराने की दुकान बस स्टेण्ड से लाल चौक मोबाईल की दुकान पर आया तो मौके पर प्रदीप मजुमदार, ललित और रमेश यादव नहीं मिले। साक्षी के अनुसार उसने अपने भाई को देखा किसी

अन्य व्यक्ति को देखने का मौका नहीं मिला। यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा उसके भाई महेश सांवरे के साथ पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट लिखाये जाने के पहले अमरलाल यादव थाने में मौजूद था और उनके विरुद्ध पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज करा चुका था, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया कि जब उसके भाई को पुलिस थाना बिरसा द्वारा मुलाहिजा कराने ले जाया जा रहा था, तब आरोपी अमरलाल को भी पुलिस द्वारा मुलाहिजा कराने अस्पताल ले जाया गया था, लाल चौक दमोह में महेश सांवरे जहां पर मोबाइल की दुकान लगाता था, उसके पिछले हिस्से में उनका संपूर्ण परिवार निवास करता है, उसके जाने के पहले उसके बड़े भाई खेमचंद सांवरे व माता कंचन सांवरे मौके पर उपस्थित थी। वह जल्दबाजी की वजह से लोग क्या सुन रहे थे, क्या बता रहे थे उसने नहीं सुना था।

13— साक्षी देवा सांवरे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि अमरलाल यादव को महेश सांवरे, खेमचंद व माता कंचन सांवरे के द्वारा मारपीट की गयी थी, जिसकी रिपोर्ट अमरलाल यादव द्वारा पुलिस में पहले दर्ज करायी गयी, जिससे बचने के लिए उसके द्वारा उसके भाई को ले जाकर पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि यदि कोई वस्तु से मारे और उसके बचाव में पीछे से कोई पकड़ ले तो उसके हाथ की जोड़ की हड्डी खिसक सकती है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा पुलिस थाना बिरसा में जो उनकी मोबाइल की दुकान में बेंच रखी हुई थी, जिसकी पटिया को उसने और उसके भाई ने पुलिस थाना में ले जाकर बताये थे कि इसी पटिया से मारपीट की गयी है। यह स्वीकार किया कि उसके भाई और अमरलाल के बीच वाद-विवाद करीब दिन के ग्यारह बजे हुआ था, तब वह अपनी किराने की दुकान पर था और उसने घटना होते हुए नहीं देखा था।

14— साक्षी ललित अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी अमरलाल तथा प्रार्थी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की है। उसने घटना होते हुए देखा था। प्रार्थी और आरोपी की आजू-बाजू दुकान है। डाउनलोडिंग के साउंड को लेकर विवाद हो रहा था। आरोपी अमरलाल महेश की दुकान में गया और गाने के साउंड को कम करने के लिए बोला। इसी बात को लेकर दोनों के बीच वाद-विवाद होने लगा और आरोपी ने महेश को बेंच की पटिया उठाकर मार दिया था, जिससे महेश को कंधे पर चोट आयी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 24.11.2013 की है, घटना दिन के ग्यारह बजे की है, आरोपी अमरलाल की फोटोग्राफर की दुकान है, घटना दिनांक को वह महेश की दुकान पर बैठा था और उसने घटना होते हुए देखा है, आरोपी अमरलाल ने माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी थी। उसे गाली सुनने में बुरी लगी थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया कि आरोपी ने गुस्से में आकर हाथ-मुक्के से मारपीट किया था, उसके बीच-बचाव किया था,

आरोपी ने जाते-जाते प्रार्थी को कहा कि यदि दोबारा मिलेगा तो जान से खत्म कर दूंगा।

15— साक्षी ललित अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 24.11.2013 को वह ग्राम माटे में था। वर्ष 2013 में वह कक्षा दसवी में अध्ययनरत था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया कि दिनांक 24.11.2013 को वह करीब दस-ग्यारह बजे बस स्टेण्ड दमोह में था, महेश सांवरे व अमरलाल की फोटो स्टूडियों की दुकान बस स्टेण्ड से दूर है। करीब आधा फलांग की दूरी होगी, उसे बस स्टेण्ड में घटना घटित होने की किसी ने सूचना नहीं दिया, उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखा, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसे घटना के संबंध में देवा सांवरे ने बताया था और उसके साथ रिपोर्ट करने के लिए थाना गये थे। यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर कौन किसको मार रहा था, उसने नहीं देख पाया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि देवा सांवरे, निर्मला, महेश सावरे वगैरह अमरलाल यादव को मारपीट कर रहे थे। यह अस्वीकार किया कि महेश सांवरे को जो हाथ में चोट आयी थी वह लामाझूमी के कारण आयी थी। साक्षी के अनुसार आरोपी ने बेंच से महेश को मारा था। यह अस्वीकार किया कि आरोपी ने टेबल उठाकर मारा था, जिससे चोट आयी थी, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया कि वहां बहुत भीड़ थी वह नहीं देख पाया कि कौन किसको मार रहा था तथा भीड़ में कौन किसको क्या बोल रहा था वह नहीं बता सकता, अमरलाल अपनी दुकान से कोई बैच व लकड़ी लेकर नहीं आया था, बेंच कुर्सी टैबल सब महेश सांवरे की दुकान के अंदर थे, जो विवाद हुआ वह महेश सावरे की दुकान पर हुआ था, लाल चौक से बस स्टेण्ड जाने के लिए डामर रोड बनी है और रोड किनारे सब दुकान लगी हुई हैं, आरोपी और प्रार्थी का विवाद दुकान के सामने हुआ, अमरलाल दुकान के सामने नहीं घुसा था, आरोपी, प्रार्थी व वह लोग दमोह हाट बाजार में मिलते रहते हैं, उक्त घटना के बाद कोई घटना नहीं हुई और ना ही किसी से कोई भय बना हुआ है।

16— साक्षी ईश्वरसिंह मेरावी अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपी को एवं प्रार्थी को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया कि वह यह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक 24.11.13 को दिन के ग्यारह बजे की है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय वह ग्राम दमोह स्थित महेश सांवरे की दुकान में बैठकर मोबाईल से गाना भरवा रहा था, आरोपी अपनी दुकान से निकलकर आया और गाना बजाने की बात पर महेश सांवरे को जोर-जोर से मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा, महेश सांवरे द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी उसे हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगा, आरोपी ने पास में रखी लकड़ी की पटिया से महेश को मारा था, जिससे महेश के बांये कंधे पर चोट आयी थी, आरोपी जाते जाते महेश से गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दे रहा था। साक्षी ने उसका पुलिस

कथन प्रपी-04 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, उसने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके बयान कैसे लिख लिये उसका वह कोई कारण नहीं बता सकता।

17- साक्षी उमाशंकर पटले अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी अमरलाल को पहचानता है। आरोपी से उसके समक्ष लकड़ी पटिया जैसी जप्त हुई थी, जिसमें ऐयरटेल कंपनी का कागज चिपका हुआ था, जिसे पुलिस ने जप्त की थी, जो प्रदर्श पी-05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी अमरलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी-06 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह ग्राम बिरसा में रहता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि थाने में उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस व संमंस नहीं दिया गया था। प्र.पी05 पर उसने ए से ए भाग पर दमोह में दस्तखत किया था। उसे आरोपी या प्रार्थी ने दमोह में उपस्थित होने हेतु कोई सूचना नहीं दी थी। यह स्वीकार किया कि लकड़ी की पटिया नहीं थी, एक लकड़ी का पटिया जैसा टुकड़ा था, जो करीब एक से सवा फिट लम्बा था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि महेश के द्वारा उक्त लकड़ी लाकर दी गयी थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके सामने किस बैंच की उक्त लकड़ी थी इसका कोई मिलान नहीं किया गया था, प्र.पी 05 के दस्तावेज में उसने साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किया था उसके सामने अन्य किसी व्यक्ति ने हस्ताक्षर नहीं किया था। ऐसा नहीं हुआ कि उक्त दस्तावेज में उसने थाने में दस्तखत किया था। ऐसा नहीं हुआ कि प्र.पी 05 कोरा था और पुलिस के कहने पर उसने दस्तखत कर दिया था।

18- साक्षी रोनूसिंह धुर्वे अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी अमरलाल यादव को पहचानता है। उसके समक्ष अमरलाल से जप्ती की कार्यवाही हुई थी। लेकिन क्या सामान की जप्ती हुई थी वह आज नहीं बता सकता है, जप्ती पत्रक प्रपी-05 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष अमरलाल यादव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-06 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक 03.12.13 को ग्राम दमोह से आरोपी द्वारा अपनी फोटोकापी की दुकान से एक बुरादे की लकड़ी की पटिया पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अमरलाल यादव से जप्त की थी, जप्ती पत्रक प्रपी-05 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह स्वीकार किया कि उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-06 के अनुसार गिरफ्तार किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह थाना बिरसा में सैनिक के पद पर पदस्थ है, प्रपी-05 के दस्तावेज पर उसने थाने में हस्ताक्षर किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि हस्ताक्षर करते समय मौके पर अमरलाल नहीं था। प्रपी-05

की लिखा-पढ़ी थाना बिरसा में की गयी तब उसने हस्ताक्षर किया था। प्रपी-05 व 06 के दस्तावेज पर उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने उसके समक्ष हस्ताक्षर नहीं किया था। यह स्वीकार किया कि प्रपी-05 का दस्तावेज ग्राम दमोह में बनाया जाना लेख हो तो वह गलत है। वह थाने में था, मुंशी जी ने कागज तैयार किया ओर उसने दस्तखत कर दिया था। उसे ध्यान नहीं है कि दमोह फोटोकॉपी दुकान से कोई सामान जप्त किया गया था या नहीं। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया कि दिनांक 03.12.13 को वह ग्राम दमोह नहीं गया था, वह थाने में सैनिक के पद पर पदस्थ है अधिकारी द्वारा कहने पर उसे दस्तखत करना होता है तथा उसने प्रपी-05 व 06 के दस्तावेज पर उसने पुलिस थाने के अधिकारी के कहने पर हस्ताक्षर किया है।

19— डॉ० हेमा बिसेन अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह दिनांक 24.11.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को आरक्षक गजेन्द्र द्वारा आहत महेश को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसमें आहत के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी—एक सूजन बांये कंधे पर, एक खरोंच बांये तरफ क्लेविकल हड्डी के उपर तथा एक खरोंच उपरी ओंठ पर पाया था। उसके मतानुसार चोट क्रमांक-01 के लिए आहत को एक्स-रे की सलाह देकर जिला अस्पताल बालाघाट विशेषज्ञ की सलाह हेतु भेजा गया था। चोट क्र.02 व 03 साधारण प्रकृति की थी, जो खुरदुरी व कड़ी सतह से आना प्रतीत होती थी, जो उसके परीक्षण के चार से छः घंटे के पूर्व की थी। परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि चोट क्र. 01 व 02 स्व-निर्मित हो सकती है, किन्तु यह स्वीकार किया उक्त चोटे धक्का-मुक्की से आ सकती है। चोट क्र.01 के बारे में उसने बालाघाट जिला चिकित्सालय विशेषज्ञ के अभिमत हेतु भेजा था।

20— साक्षी किरण कुमार बाहेश्वर अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 24.11.13 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा प्रार्थी महेश सांवरे की सूचना पर आरोपी अमरलाल यादव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 162/13 अंतर्गत धारा-294, 323, 506बी भा.दं. सं. लेख किया था जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के पश्चात उसके द्वारा प्रकरण थाना प्रभारी के निर्देशानुसार विवेचक को अग्रिम विवेचना हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल पर जाकर कोई जांच नहीं की, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 अपने मन से लेख किया था, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी को पढ़कर नहीं सुनाया था और उसके हस्ताक्षर ले लिये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह दिनांक 24.11.13 को थाना मोहर्रिर के पद पर पदस्थ था, दिनांक 24.11.13 को अमरलाल के द्वारा महेश सांवरे के विरुद्ध मारपीट किये जाने के संबंध में की लिखित रिपोर्ट की थी, जिस रिपोर्ट में महेश सांवरे द्वारा करीब दिन के 11:00 बजे मारपीट किया जाना लेख कराया गया

था।

21— साक्षी अरविंद घोरमारे अ.सा.12 ने कथन किया है कि वह दिनांक 29.11.13 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्र.162/13 अंतर्गत धारा-294, 323, 506बी भा.दं०सं० की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी महेश की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी महेश सांवरे तथा गवाह प्रदीप कुमार, रमेश यादव, देवा सांवरे के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। तत्पश्चात अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण की केस डायरी उसके द्वारा प्रधान आरक्षक सुरेश नागेश्वर को दी गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने मौका नक्शा थाने पर बैठकर अपने मन से तैयार किया है, उसने प्रार्थी महेश सांवरे के कथन उसके बताये अनुसार लेख न करके अपने मन से लेख किये हैं, उसने गवाह प्रदीप, रमेश और देवा के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया है। यदि साक्षी प्रदीप और रमेश द्वारा न्यायालय में पुलिस को कोई बयान न देने का कथन किया गया है तो वह गलत है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटनास्थल प्रार्थी की दुकान के सामने है, उसके द्वारा घटनास्थल से सड़क की दूरी दर्शित नहीं की गयी है। साक्षी के अनुसार दुकान सड़क से लगी हुई है। यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी और आरोपी की दुकान आस-पास हैं, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रार्थी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में झूठी विवेचना की गयी है।

22— साक्षी सुरेश नागेश्वर अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 24.11.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्र.162/13 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा धारा 294, 323, 506 भा.दं०सं० के अंतर्गत आरोपी अमरलाल यादव से दिनांक 03.12.2013 को समय 11:55 बजे ग्राम दमोह में आरोपी को पेश करने आरोपी द्वारा एक पुरानी लकड़ी की बुरादे से बना हुआ पटिया जैसा टुकड़ा जिस पर प्लाई लगा था तथा एयरटेल कंपनी का कागज लगा हुआ था गवाह उमाशंकर, रवनूसिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी-05 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी से सी भाग पर आरोपी अमरलाल यादव के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी अमरलाल यादव को उन्हीं गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी-06 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके एवं सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही साक्षी ललित और ईश्वर सिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। विवेचना के दौरान आहत को कंधे पर चोट आने से हड्डी खिसक जाने से धारा-325 भा.दं०सं० बढ़ायी जाकर चालान थाना प्रभारी बिरसा को प्रस्तुत कर न्यायालय में पेश किया गया था।

23— साक्षी सुरेश नागेश्वर अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझावों को स्वीकार किया है कि थाने से किसी भी कार्य के लिए जब जाया जाता है तब रवानगी और वापिसी दोनों का उल्लेख रोजनामचा सान्हा में किया जाता है, प्रस्तुत प्रकरण में रोजनामचा सान्हा की नकल नहीं लगायी गयी है, जप्ती साक्षी उमाशंकर बिरसा का एवं रोवनूसिंह रेलवाही दमोह का रहने वाला है, उमाशंकर पटले और रोवनूसिंह को दमोह पर उपस्थित होने हेतु कोई लिखित सूचना नहीं दिया था, रोवनूसिंह धुर्वे उस समय थाने में सैनिक था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी-05 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी-06 पर साक्षियों के हस्ताक्षर उसने थाने में करवाया था, आरोपी अमरलाल से पटिया की जप्ती नहीं हुई थी, थाने में रखी हुई पटिया की जप्ती बनायी गयी है। जप्तशुदा पटिया लगभग डेढ़ फिट लम्बाई की थी। यह स्वीकार किया कि जप्ती पत्रक प्र.पी-05 में जप्तशुदा पटिया की लम्बाई चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि डेढ़ फिट की पटिया की कोई जप्ती ही नहीं हुई, इसलिए प्रकरण में उसका उल्लेख नहीं किया गया है, यदि उक्त नाप की लकड़ी जप्त की जाती तो उसका उल्लेख जप्ती पत्रक प्र.पी-05 में आवश्यक रूप से किया जाता। यह स्वीकार किया कि जप्तशुदा लकड़ी किस बेंच की थी, इसका कोई मिलान नहीं कराया गया है। साक्षी के अनुसार घटनास्थल की बेंच की ही थी। यह अस्वीकार किया कि दमोह पांच-सात कि०मी० मै फैला हुआ है। साक्षी के अनुसार एक-डेढ़ कि०मी० में फैला हुआ है। यह स्वीकार किया कि जप्ती पत्रक प्र.पी-05 में जप्ती के स्थान विशेष का उल्लेख नहीं है। साक्षी के अनुसार दुकान से लाकर पेश किया था, ऐसा उल्लेख है।

24— साक्षी सुरेश नागेश्वर अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुकान से लाकर किस स्थान पर पेश किया था इसका उल्लेख प्र.पी-05 पर नहीं है, आरोपी अमरलाल को ग्राम दमोह के किस स्थान विशेष से गिरफ्तार किया गया इसका भी उल्लेख नहीं है, ललित ग्राम माटे एवं ईश्वरसिंह सिंगनपुरी का रहने वाला है, वह ग्राम माटे और न ही सिंगनपुरी गया था। साक्षी के कथन अनुसार ललित और ईश्वर सिंह मौके पर थे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि साक्षी ईश्वर व ललित घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं रखते हैं उनके बयान अपने मन से लेखबद्ध किया गया है, उनके बयान उसने प्रार्थी से मिलकर लेखबद्ध किया है, किन्तु यह स्वीकार किया कि साक्षीगण ईश्वर व ललित के बयान लेखबद्ध किये जाने की तारीख 07.12.13 को काटकर 03.12.13 की गयी है। यह अस्वीकार किया कि उक्त त्रुटि सुधार करने का कारण नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार भूलवश सात तारीख अंकित किया गया है, जिसे सुधारकर तीन तारीख किया गया है। प्रकरण में छः तारीख को चालान काट दिया गया था। यह अस्वीकार किया कि उक्त त्रुटि सुधार थाना प्रभारी द्वारा किया गया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि तारीख दुरुस्त किये जाने के बाद उसके अथवा किसी अधिकारी के कोई लघु हस्ताक्षर नहीं है।

25— घटना के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिवादी महेश सांवरे अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। परिवादी के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गंभीर विरोधाभास एवं लोप नहीं है। परिवादी महेश सांवरे अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि साक्षी ललित अ.सा.05 के कथनों से भी होती है। परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य कोई गंभीर पूर्व व्यमनस्यता स्थापित नहीं हुई है, जिसे लेकर यह माना जा सके कि उसने अभियुक्त को घटना में असत्य रूप से लिप्त किया हो। जहाँ तक परिवादी/आहत महेश सांवरे अ.सा.01 को उपहति करने का प्रश्न है।

26— परिवादी महेश सांवरे अ.सा.01 की साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से उसकी पुष्टि, डॉ० हेमा बिसेन अ.सा.10 की चिकित्सा साक्ष्य से परिवादी की चोटों की पुष्टि एवं साक्षी रमेश अ.सा.02 की साक्ष्य से परिवादी के कथनों की पुष्टि से यह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने बेंच की पटिया से परिवादी महेश सांवरे को स्वेच्छया उपहति कारित की, क्योंकि गंभीर उपहति के संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं है।

27— परिवादी महेश अ.सा.01 के अनुसार आरोपी ने अपनी दुकान से निकलकर उसे मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दी थी। न्यायदृष्टांत शरद दवे वि० महेश गुप्ता, 2005(4)एम.पी.एल.जे.330 के अनुसार केवल अश्लील गालियाँ धारा-294 भा.द.वि. का अपराध गठित नहीं करती है तथा न्यायदृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन, 1997(2) डब्ल्यू.एन.224 के अनुसार केवल गालियाँ दिया जाना इस अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उक्त वैधानिक स्थिति के प्रकाश में मात्र परिवादी महेश अ.सा.01 की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त अमरलाल ने परिवादी को लोक स्थान के समीप अश्लील शब्द उच्चारित किया व उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया।

28— भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 के अपराध हेतु आवश्यक है कि अभियुक्त का आशय आहत व्यक्ति को अभित्रास कारित करना हो तथा यह बात निष्काम होगी कि आहत अभित्रस्त होता है की नहीं, तथापि अभित्रास कारित करने के किसी आशय के बिना किन्हीं शब्दों की मात्र अभिव्यक्ति धारा-506 को काम में लाये जाने के लिये पर्याप्त नहीं होगी। वर्तमान प्रकरण में घटना के तुरंत बाद प्रथम सूचना दर्ज किया जाना दर्शित है। प्रकरण की साक्ष्य तथा घटना के बाद आहतगण के आचरण से यह दर्शित नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा उक्त आरोपित अपराध कारित किया गया है, क्योंकि मात्र धमकी देकर घटनास्थल से चले जाने से इस धारा की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत अमूल्य कुमार बेहरा वि० नबघन बेहरा 1995 सी.आर.एल.जे. 3559 (उडीसा) तथा सरस्वती वि० राज्य 2002 सी.आर.एल.जे.1420 (मद्रास) अवलोकनीय है। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। अतः अभियुक्त अमरलाल यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506

भाग-दो, 325 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

29— अभियुक्त द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

पुनःश्च—

30— दंड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त एवं परिवादी की दुकान आजू-बाजू है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

31— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में कारावास का दंड दिये जाने से उभयपक्ष के मध्य वैमनस्यता तथा विवाद बढ़ने की संभावना है। फलतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को देखते हुए उसे सामान्य दण्ड दिये जाने से न्याय की पूर्ति संभव है। अतः अभियुक्त अमरलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिये एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

32— अर्थदंड की संपूर्ण राशि धारा-357(1)(बी) द.प्र.सं. के तहत परिवादी महेश को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

33— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक पुराना लकड़ी के बुरादे से बना पटिया, जिसपर प्लाई लगकर ऐयरटेल कंपनी का कागज चिपका है, मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

34— प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक् से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

35— अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
 हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —
 (अमनदीपसिंह छाबड़ा)
 न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
 जिला बालाघाट

सही / —
 (अमनदीपसिंह छाबड़ा)
 न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
 जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
 (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)